

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल 2011—चैत्र 21, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-14-2010-1-पांच (34).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 8 के उप नियम (4-ख) तथा नियम 23-क के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3 ए-19-09-1-पांच- (78), दिनांक 4 अक्टूबर 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि 1 अक्टूबर 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में,—

- (एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि दस करोड़ रुपये से अधिक है कोई विवरणी प्ररूप 10 में, इलैक्ट्रॉनिक रीति में डिजिटल हस्ताक्षर के बिना विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;
- (दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि रुपये दस करोड़ तक है, कोई विवरणी, यथास्थिति, प्ररूप 5 या प्ररूप 10 में, इलैक्ट्रॉनिक रीति में डिजिटल हस्ताक्षर के बिना विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी.

2. इलैक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, यथास्थिति, प्ररूप 5-ख या प्ररूप 10-क में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा.

3. उक्त नियमों के नियम 8 या 21 के उपबंध, यथास्थिति, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-14-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-14-2010-1-पांच (34), दिनांक 11 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2011

No. F A-3-14-10-1-V (34).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4-B) of rule 8 and sub-rule (2) of rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 and in supersession of this department's notification No. F-3A-19-09-1-V(78) dated 4th October 2010 the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods starting on or after 1st October, 2010,—

- (i) shall be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is more than rupees ten crores, electronically in Form 10, without digital signature, through the official web portal of the department (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal;
- (ii) may be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is upto rupees ten crores, electronically in Form 5 of Form 10, as the case may be, without digital signature, through the official web portal of the department (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form 5-B or Form 10-A, as the case may be.

3. The provisions of rule 8 or 21 of the said rules, as the case may be, shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-14-2010-1-पांच (35).—मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम 7-क के उपनियम (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 23-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3 ए-19-09-1-पांच-(82), दिनांक 4 अक्टूबर 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि 1 अक्टूबर 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में,—

- (एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि रुपये दस करोड़ से अधिक है कोई विवरणी प्ररूप 5 में, इलैक्ट्रानिक रीति में डिजीटल हस्ताक्षर के बिना विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;
- (दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि दस करोड़ रुपये तक है, कोई विवरणी, प्ररूप 5 में, इलैक्ट्रानिक रीति में डिजीटल हस्ताक्षर के बिना विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी.

2. इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, प्ररूप 5-ख में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा.

3. उक्त नियमों के नियम 7-क के उपबंध, यथास्थिति, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-14-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-14-2010-1-पांच (35), दिनांक 11 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2011

No. F A-3-14-2010-1-V (35).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) or rule 7-A of the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957 (the Rules) read with rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 and in supersession of this department's notification No. F-3 A-19-09-1-V(82) dated 4th October 2010 the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods starting on or after 1st October, 2010,—

- (i) shall be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is more than rupees ten crores, electronically in Form V, without digital signature, through the official web portal of the department (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal;
- (ii) may be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is upto rupees ten crores, electronically in Form V, without digital signature, through the official web portal of the department (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form V-B.

3. The provisions of rule 7-A of the rules shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-14-2010-1-पांच (36).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 के नियम 8-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3 ए-19-09-1-पांच-(79), दिनांक 4 अक्टूबर 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि 1 अक्टूबर 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में,—

- (एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि रुपये दस करोड़ से अधिक है कोई विवरणी प्ररूप 7 में, इलैक्ट्रानिक रीति में डिजिटल हस्ताक्षर के बिना विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;

(दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी वार्षिक कुल राशि रुपये दस करोड़ तक है, कोई विवरणी, प्ररूप 7 में, इलैक्ट्रॉनिक रीति में डिजीटल हस्ताक्षर के बिना विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. इलैक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, प्ररूप 7-ड में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा।

3. उक्त नियमों के नियम 8 के उपबंध, यथास्थिति, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-14-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-14-2010-1-पांच (36), दिनांक 11 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2011

No. F A-3-36-2010-1-V (36).—In exercise of the powers conferred by rule 8-A of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par kar Niyam, 1976 and in supersession of this department's notification No. F-3 A-19-09-1-V(79) dated 4th October 2010 the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods starting on or after 1st October, 2010,—

- (i) shall be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is more than rupees ten crores, electronically in Form VII, without digital signature, through the official web portal of the department (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal;
- (ii) may be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is upto rupees ten crores, electronically in Form VII, without digital signature, through the official web portal of the department (www.mptax.net / www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form VII-E.

3. The provisions of rule 8 of the said rules shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.